

4529 ITCell
04/11/15

**OFFICE OF DIRECTOR SECONDARY EDUCATION, HARYANA,
PANCHKULA**

Order No. 21/74-2015 HRG-I (4)

Dated, Panchkula the 02.11.15

In terms of Haryana Govt. notification dated 26.04.2011, **Sh. Hari Parkash, Principal, Govt. Girls Sr. Sec. School, Khatkar (Jind)** is hereby re-employed in the same school after his retirement with immediate effect upto 31.03.2016 or till the new incumbent joins the post by way of new recruitment whichever is earlier. He will be paid salary as per provisions of CSR Vol-II i.e. last pay drawn minus pension. He will also exercise Drawing and Disbursing powers of the school.

**M.L. KAUSHIK
DIRECTOR SECONDARY EDUCATION,
HARYANA, PANCHKULA**

Endst. No. Even

Dated, Panchkula the

4-11-15

A copy is forwarded to the following for information and necessary action:-


1. The Accountant General (A&E), Haryana, Chandigarh.
2. District Education Officer, Jind w.r.t. to his Memo No. E-I-2015/Spl-1 dated 07.10.2015.
3. Treasury Officer, Jind.
4. Sh. Hari Parkash, Principal, Govt. Girls Sr. Sec. School, Khatkar (Jind).
5. Technology Officer, I.T. Cell.

PCW/11

**Superintendent HRG-I
for Director Secondary Education,
Haryana, Panchkula.**



GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार
Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय
 e-mail: edusecondary@hry.nic.in



आदेश क्रमांक 5/81-2014 HRME(2)/2784

दिनांक, पंचकुला :-

1. इसके द्वारा श्री हरदेव सिंह, एल0ए0 (54385), (निलम्बित) तत्कालीन कार्यालय रा0मॉ0स0व0मा0वि0 ईसमाईलाबाद, कुरुक्षेत्र अब जि0शि0अ0 करनाल को सूचित किया जाता है कि संलग्न विवरण में दिये गये आरोपों के आधार पर हरियाणा सिविल सेवा (दण्ड तथा अपील) नियम, 1987 के नियम-7 के अन्तर्गत उनके विरुद्ध कार्यवाही करना प्रस्तावित किया गया है। ये आरोप उससे अनुबन्ध अभिकथनों के विवरण पर आधारित हैं।
2. इसके द्वारा श्री हरदेव सिंह, एल0ए0, से उनके द्वारा इस ज्ञापन की प्राप्ति की तिथि से पन्द्रह दिन की अवधि के भीतर लिखित रूप में बताने की अपेक्षा की जाती है कि वे सभी आरोपों या उनमें से किसी को स्वीकार करते हैं या नहीं। उन्होंने क्या स्पष्टीकरण या प्रतिवेदन, यदि कोई हो, प्रस्तुत करना है और क्या वे व्यक्तिगत रूप में अपनी सुनवाई चाहते हैं।
3. इसके द्वारा श्री हरदेव सिंह, एल0ए0 को आगे सूचित किया जाता है कि यदि वे अपने लिखित कथन को तैयार करने के प्रयोजन के लिए सुसंगत सरकारी अभिलेखों को देखना चाहते हैं तो वह निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला के कार्यालय में उनके साथ पहले समय नियत करने के बाद, किसी कार्य दिवस को, उनका निरीक्षण कर सकते हैं। फिर भी यह बताया जाता है कि उन्हें केवल ऐसे ही दस्तावेज दिखाये जायेंगे, जोकि निदेशक विद्यालय, शिक्षा हरियाणा, पंचकुला के पास हैं और जो मामलों के साथ पूरी तरह से सुसंगत हैं। यदि सरकार की राय में उन्हें किन्हीं दस्तावेजों को दिखाने की अनुमति देना वांछनीय नहीं है तो उन्हें यह दस्तावेज दिखाने से इन्कार कर दिया जायेगा। यदि श्री हरदेव सिंह, एल0ए0 ऐसे किसी अन्य सुसंगत अभिलेख को देखना चाहते हैं जो निदेशक विद्यालय शिक्षा हरियाणा, पंचकुला की अभिरक्षा में नहीं है तो उनका निरीक्षण करने की जिम्मेवारी उनकी अपनी होगी। फिर भी श्री हरदेव सिंह, एल0ए0, को यह बात स्पष्ट की जाती है कि उनके द्वारा उक्त दस्तावेज का निरीक्षण न किया जा सकना उनके लिखित कथन को भेजने में देरी के लिए वैध आधार नहीं माना जायेगा और यदि लिखित कथन निम्नहस्ताक्षरकर्ता को निर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त नहीं होता है तो यह समझा जायेगा कि उन्हें इस सम्बन्ध कुछ भी प्रस्तुत नहीं करना है।
4. लिखित कथन सीधे निम्नहस्ताक्षरी को प्रस्तुत करना चाहियें।
5. संलग्न पत्रों सहित इस ज्ञापन की पावती भेज दी जाये।

An

(अरविंद मल्हान)

अतिरिक्त निदेशक प्रशासन
 कार्या0 निदेशक सकैण्डरी शिक्षा हरियाणा
 पंचकुला।

REGD.

श्री हरदेव सिंह, एल0ए0 (54385), (निलम्बित)
 कार्या0जि0शि0अ0 करनाल।

पृष्ठांकन क्रमांक सम

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु भेजी जाती है:-

दिनांक, पंचकुला:- 3/11/2015

- 1- जि0शि0अ0 कुरुक्षेत्र/करनाल।
- 2- प्रधानाचार्य, रा0मॉ0स0व0मा0वि0 ईसमाईलाबाद, कुरुक्षेत्र
- 3- टेक्नॉलोजी अधिकारी (स्थानीय)।

2
 4/11/15

Programmer (Vams)

अधीक्षक एच0आर0एम0ई0
 कृते: निदेशक सकैण्डरी शिक्षा हरियाणा
 पंचकुला।